



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 972]
No. 972]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 2007/श्रावण 16, 1929
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 2007/SRAVANA 16, 1929

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2007
आय-कर

का.आ. 1374 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2007 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर, नियम 1962 में,-

(क) नियम 44ग में,-

(i) “मामले के निपटारे के लिए आवेदन का फार्म” शीर्षक के स्थान पर “मामले के निपटारे के लिए आवेदन और निर्धारण अधिकारी को सूचना का प्रारूप” शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) निर्धारिती उस तारीख को जिसको वह समझौता आयोग को आवेदन करता है, प्रारूप 34खक में निर्धारण अधिकारी को आयोग को किए गए ऐसे आवेदन के बारे में सूचित करेगा।”;

(ख) नियम 44गक के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“44 गक.(1) समझौता आयोग, धारा 245घ की उपधारा (2ख) के अधीन आयुक्त से रिपोर्ट मंगवाते समय प्रारूप 34ख में (उपाबंध और विवरणों तथा ऐसे उपाबंध के साथ अन्य दस्तावेजों से भिन्न) यथास्थिति धारा 245घ की उपधारा

(1) के अधीन आदेश की एक प्रति या धारा 245घ की उपधारा (2क) के अधीन अनुज्ञात समझे गए आवेदन के संबंध में सूचना की प्रति के साथ आवेदन की एक प्रति भेजेगा।

(2) जहां धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन किसी आवेदन को अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है या धारा 245घ की उपधारा (2घ) के अधीन किसी आवेदन पर आगे कार्रवाई किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है वहां प्ररूप संख्यांक 34ख में आवेदन के उपाबंध में अंतर्विष्ट सूचना और विवरण तथा ऐसे उपाबंध से संलग्न दस्तावेज आयुक्त को भेजे जाएंगे।”

(ग) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप संख्यांक 34 ख के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप	34ख	मामलों का निपटारा करने के लिए आवेदन	समझौता आयोग में न्यायपीठ सं.....
		[कृपया आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ग और आय-कर नियम, 1962 के नियम 44ग और 44गक देखिए]	निपटारे संबंधी आवेदन सं.....20.....20....

भाग क व्यक्तिगत सूचना	नाम		स्थायी लेखा सं. (पैन)	
	प्लेट/ द्वार / ब्लाक सं०	परिसर/भवन /ग्राम का नाम		प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) ☒ (i) व्यक्ति ☐ (ii) हिन्दू अधिमक्त कुटुंब ☐ (iii) कंपनी ☐ (iv) फर्म ☐ (v) सहकारी सोसाइटी ☐ (vi) स्थानीय प्राधिकारी ☐ (vii) व्यक्तियों का संगम/(v) या (vi) में नहीं आने वाले व्यक्तियों का निकाय ☐
	मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान	पिन कोड	
	नगर/शहर/जिला	राज्य		
	ई मेल पता	(एसटीडी कोड) और फोन नंबर ()		
भाग ख भाग ग निर्धारण अधिकारिता और फाइल बनाने की प्रक्रिया	1.	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)		
	2.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त		
	3.	उस संबंध में निर्धारण वर्ष जिसके बारे में समझौते के लिए आवेदन किया गया है और विवरणी फाइल करने की तारीख		
	1.	वह तारीख जिससे कार्यवाहियां लंबित है (निर्धारण वर्ष के अनुसार)		
	2.	निपटाए जाने वाले मुद्दों की विशिष्टियां, मामले की प्रकृति और परिस्थितियां (निर्धारण वर्ष के अनुसार)		
	3.	आय का पूर्ण और वास्तविक प्रकटन जिसका निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकटन नहीं किया गया है (निर्धारण वर्ष के अनुसार)		
	4.	(3) में निर्दिष्ट आय पर संदेय आयकर की अतिरिक्त रकम (निर्धारण वर्ष के अनुसार)		
	5.	संदेय घ्याज (निर्धारण वर्ष के अनुसार)		
	6.	(5) और (6) का योग		
	7.	(7) में निर्दिष्ट कर और ब्याज के संदाय की तारीख		

सत्यापन मैं..... जो..... पुत्र/पुत्री/पत्नी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ ऊपर और उपाबंध में [जिसके अंतर्गत उस उपाबंध के साथ सलग्न कथन और दस्तावेज भी हैं] कथित किया गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं..... के रूप में अपनी हैसियत में..... (अपना पदनाम लिखें) यह आवेदन कर रहा/रही हूँ और मैं यह आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ मैं यह भी सत्यापित करता हूँ कि ये कार्यवाहियाँ जिनके लिए यह आवेदन किया जा रहा है, वह आयकर अधिनियम की धारा 245क के खंड (ख) के परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है। आज..... तारीख को सत्यापित	
स्थान	आवेदक के हस्ताक्षर

उपाबंध	
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 ग (1) के अधीन आवेदन के भाग ग, मध 3 में निर्दिष्ट विशिष्टियाँ वाला विवरण	
1.	उक्त आय की रकम जिसका निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकटन नहीं किया गया है (यहाँ जो आवेदन के भाग ग मध 3 में है)
2.	उक्त आय पर संदेय आयकर की अतिरिक्त रकम
3.	संदेय ब्याज
4.	आवेदक द्वारा चाही गई समझौते के निबंधनों सहित (निर्धारण वर्ष के अनुसार) निपटारा किए जाने वाले मुद्दों के संबंध में तथ्यों का पूर्ण और वास्तविक विवरण
5.	वह रीति जिसमें मध सं. 1 में निर्दिष्ट आय व्युत्पन्न हुई है (निर्धारण वर्ष के अनुसार)
स्थान	तारीख
आवेदक की हस्ताक्षर	

प्ररूप	34खक	समझौता आयोग को किए गए आवेदन की निर्धारण अधिकारी को सूचना	केवल कार्यालय उपयोग के लिए प्राप्ति सं..... तारीख.....
		[आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ग और आय-कर नियम, 1962 का नियम 44ग देखिए]	प्राप्तकर्ता पदवाही की मुहर और हस्ताक्षर

भाग क व्यक्तिगत सूचना	नाम		स्थायी लेखा सं. (पैन)	
	फ्लैट/ झर / ब्लाक सं०	परिसर/भवन /गांव का नाम	प्राप्ति (सही का निम्न सगुरु) हैं	
	मार्ग/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान	(i) व्यक्ति	
	नगर/ शहर/ जिला	राज्य	(ii) हिन्दू अधिपक्ष कुटुंब	
	पिन कोड	(iii) कंपनी		
ई मेल पता	(एसटीडी कोड)- फोन नंबर	(iv) फर्म		
		(v) सहायी सोसाइटी		
		(vi) स्थानीय प्राधिकारी		
		(vii) व्यक्तियों का संगम/ व्यक्तियों का विकास जो (v) या		
		(vi) के अंतर्गत नहीं आता है		

भाग छ निर्धारण अधिकारिता और फाइल करने की प्रक्रिया	1.	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)
	2.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाला आयुक्त
	3.	उस संबंध में निर्धारण वर्ष जिसके बारे में समझौते के लिए आवेदन किया गया है और विवरणी फाइल करने की तारीख

प्रमाणपत्र

मैं पुत्र/ पुत्री/ पत्नी सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि मैंने आज आयकर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन प्रारूप सं. 34ख में ऊपर वर्णित विशिष्टियों सहित डाक / दस्ती द्वारा समझौता आयोग की न्यायपीठ में (जो लागू न हो उसे काट दें) रसीद संख्यांक (यदि आवेदन दस्ती किया गया है तो रसीद संख्यांक लिखें) की हैसियत में (अपना पदनाम लिखें) आवेदन किया है।				
स्थान		तारीख		आवेदक के हस्ताक्षर

[अधिसूचना सं. 215/2007/फा. सं. 142/11/2007-टीपीएल]

संजित त्रिपाठी, अवर सचिव

टिप्पणी :- मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और उनमें अन्तिम संशोधन, आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2007, अधिसूचना संख्या का.आ. 1044(अ), तारीख 27-6-2007 द्वारा किया गया था।